10.09.2025:—पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गइ। प्रार्थी द्वारा अपना मूल वादपत्र डिकी कर लिया गया है। मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी